(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश के पूर्वोत्तर राज्यों में जान और माल के संबंध में किए गए विभिन्न अपराधों से संबंधित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े क्या हैं;

(ख) ये आंकड़े राज्य सरकारों के आंकड़ों से किस तरह अलग हैं;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न श्रेणियों के अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है;

(घ): यदि हां, तो इस लगातार वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ड.) बढ़ती अपराध दर को रोकने के लिए राज्य सरकारों के समन्वय से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो तथा मंत्रालय द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

**(क) और (ख): विगत तीन वर्षों के दौरान देश के पूर्वोत्तर राज्यों में मानव-जीवन एवं सम्पत्ति के प्रति कारित विभिन्न अपराधों के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) के आंकड़े अनुलग्नक के रुप में संलग्न हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो में जानकारी/आंकड़ों को राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो से एकत्र किया जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास आंकड़ों के संग्रहण का कोई अन्य स्रोत नहीं है।**

**(ग) से (ड.): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) देश में विभिन्न अपराधों के संबंध में आंकड़ों का संकलन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर करता है। चूंकि ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं, इसलिए अपराध की रोकथाम, उनका पता लगाने, पंजीकरण तथा जांच-पड़ताल करने और अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अपराधियों पर अभियोजन चलाने के साथ-साथ नागरिकों के जान-माल का संरक्षण करने के लिए प्राथमिक रूप से राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। तथापि, केन्द्र सरकार अपराधों की रोकथाम के मामलों को अत्यधिक महत्व देती है और इसलिए, यह राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से दाण्डिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने तथा अपराध की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए यथावश्यक उपाय करने के लिए अधिकाधिक ध्यान देने का आग्रह करती रहती है। दिनांक 16 जूलाई, 2010 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपराधों की रोकथाम, पंजीकरण, जांच-पड़ताल तथा अभियोजन के संबंध के एक परामर्शी-पत्र जारी किया गया है।**

अनुलग्नक के पृष्ठ 1

राज्य सभा अता० प्र० सं० 22**50**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2008 | | | | | | | | | | | 2009 | | | | | | | | | | | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| **राज्य** | | **डीसी** | **पीडी** | | **आरबी** | | **बीआरजी** | | **टीएच** | | **कुल** | | **डीसी** | | **पीडी** | | | **आरबी** | **बीआरजी** | **टीएच** | | **कुल** | | **डीसी** | | | **पीडी** | | **आरबी** | | **बीआरजी** | | **टीएच** | | **कुल** | | | |
| **अरुणाचल प्रदेश** | | 14 | 0 | | 79 | | 245 | | 445 | | 783 | | 20 | | 0 | | | 55 | 201 | 381 | | 657 | | 15 | | | 0 | | 69 | | 211 | | 445 | | 740 | | | |
| **त्रिपुरा** | | 13 | 3 | | 95 | | 218 | | 499 | | 828 | | 7 | | 0 | | | 77 | 231 | 415 | | 730 | | 16 | | | 2 | | 65 | | 221 | | 457 | | 761 | | | |
| **असम** | | 312 | 74 | | 568 | | 3147 | | 8012 | | 12113 | | 251 | | 21 | | | 680 | 3149 | 7644 | | 11745 | | 248 | | | 12 | | 662 | | 3458 | | 7860 | | 12240 | | | |
| **मणिपुर** | | 1 | 212 | | 7 | | 76 | | 446 | | 742 | | 1 | | 188 | | | 3 | 68 | 394 | | 654 | | 0 | | | 196 | | 2 | | 66 | | 417 | | 681 | | | |
| **मेघालय** | | 63 | 0 | | 65 | | 168 | | 669 | | 965 | | 64 | | 1 | | | 67 | 147 | 545 | | 824 | | 42 | | | 1 | | 67 | | 166 | | 664 | | 940 | | | |
| **मिजोरम** | | 4 | 0 | | 6 | | 338 | | 747 | | 1095 | | 2 | | 0 | | | 4 | 381 | 761 | | 1148 | | 3 | | | 0 | | 16 | | 425 | | 823 | | 1267 | | | |
| **नागालैंड** | | 6 | 0 | | 87 | | 127 | | 345 | | 565 | | 8 | | 0 | | | 92 | 82 | 347 | | 529 | | 3 | | | 0 | | 63 | | 62 | | 397 | | 525 | | | |
| **स्रोत: भारत में अपराध** | **नोट:- डी सी: डकैती, पीडी: डकैती की तैयारी तथा एकत्र होना, आरबी: लूटपाट, बीआरजी: सेंधमारी, टीएच, चोरी, कुल: सम्पत्ति के प्रति कुल आईपीसी अपराध** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2008 | | | | | | | | | | | | | 2009 | | | | | | | | | | | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **राज्य** | **एमडी** | **एएम** | | **सीएच** | | **केए** | | **एचटी** | | **डीएन** | | **कुल** | | **एमडी** | | **एएम** | **सीएच** | | **केए** | **एचटी** | **डीएन** | | **कुल** | | | **एमडी** | | **एएम** | | **सीएच** | | **केए** | | **एचटी** | | **डीएन** | | | | | **कुल** | |  | | |
| **अरुणाचल प्रदेश** | 72 | 37 | | 2 | | 79 | | 479 | | 104 | | 773 | | 59 | | 33 | 5 | | 62 | 526 | 110 | | 795 | | | 75 | | 34 | | 3 | | 67 | | 439 | | 106 | | | | | 724 | |  | | |
| **असम** | 1426 | 417 | | 71 | | 2239 | | 6107 | | 2259 | | 12519 | | 1323 | | 417 | 35 | | 2718 | 6547 | 2735 | | 13775 | | | 1223 | | 431 | | 46 | | 3250 | | 5744 | | 2847 | | | | | 13541 | |  | | |
| **मणिपुर** | 187 | 498 | | 4 | | 176 | | 301 | | 2 | | 1168 | | 131 | | 478 | 2 | | 159 | 224 | 0 | | 994 | | | 92 | | 258 | | 1 | | 199 | | 227 | | 1 | | | | | 778 | |  | | |
| **मेघालयच** | 126 | 55 | | 6 | | 56 | | 204 | | 64 | | 511 | | 128 | | 39 | 12 | | 56 | 207 | 72 | | 514 | | | 134 | | 60 | | 8 | | 71 | | 154 | | 53 | | | | | 480 | |  | | |
| **मिजोरम** | 35 | 10 | | 6 | | 9 | | 118 | | 53 | | 231 | | 31 | | 14 | 8 | | 9 | 120 | 36 | | 218 | | | 48 | | 27 | | 7 | | 9 | | 116 | | 44 | | | | | 251 | |  | | |
| **नागालैंड** | 143 | 47 | | 13 | | 44 | | 46 | | 44 | | 337 | | 46 | | 35 | 7 | | 52 | 38 | 34 | | 212 | | | 45 | | 35 | | 13 | | 50 | | 36 | | 22 | | | | | 201 | |  | | |
| **त्रिपुरा** | 155 | 53 | | 2 | | 146 | | 924 | | 195 | | 1475 | | 133 | | 59 | 2 | | 121 | 1047 | 225 | | 1587 | | | 150 | | 63 | | 8 | | 114 | | 1136 | | 237 | | | | | 1708 | |
| **स्रोत: भारत में** | **नोट:-एमडी:हत्या, एएम: हत्या का प्रयास, सीएच: सदोष मानव वध जो हत्या नहीं है, केए: अपहरण एवं व्यपहरण, एचटी: मारपीट, सी डी एन: लापरवाही से हत्या, कुल: मानव शरीर के प्रति कारित कुल अपराध आईपीसी अपराध** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |